

नव

भारत



GOVERNMENT OF INDIA



BRICS
INDIA 2026

BUILDING FOR RESILIENCE, INNOVATION,
COOPERATION AND SUSTAINABILITY

BRICS SUMMIT

 12 - 13 September 2026

 New Delhi, India

People-Centric
Approach
Spirit of
Humanity First



CBC 14129/13/0016/2627

झीरम नरसंहार में 13 साल

बाद न्याय, सभी 10 दोषी

बच्चों को नशे और ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचाएं

► एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

► केस मजबूत करने 101 गवाहों के हुए थे बयान

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क रायपुर, 5 सितम्बर. छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े और खौफनाक नक्सली हमलों में से एक 2013 के झीरम घाटी हत्याकांड मामले में एनआईए की अदालत ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. अदालत ने मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले की सुनवाई एनआईए की अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपुत की बेंच में चल रही थी. विशेष अदालत में 12 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. न्यायाधीश ने फैसला सुनिश्चित रख लिया था. जिसे शुक्रवार को सुनाया गया. एनआईए ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद वर्ष 2015 में अदालत के समक्ष एक हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. इस चार्जशीट में शुरुआत में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 10 आरोपी जगदलपुर जेल में बंद हैं. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना केस मजबूत करने के लिए कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके विपरीत, बचाव पक्ष की ओर से खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत में एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका.



कर्म, विद्याचरण समेत 32 की गई थी जान

25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कांग्रेस पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी. जब नेताओं का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था, तब घात लगाए बैठे सैकड़ों माओवादियों ने उन पर चारों तरफ से अंधाधुंध गोशियों बरसा दीं. इस वीभत्स हमले में कुल 32 लोगों की जान गई थी और 38 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. हालाँकि, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में आधिकारिक तौर पर 27 मृतकों की ही जानकारी दी है. इस हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित कई प्रमुख नेताओं और सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई थी.

की थी. इस चार्जशीट में शुरुआत में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 10 आरोपी जगदलपुर जेल में बंद हैं. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना केस मजबूत करने के लिए कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके विपरीत, बचाव पक्ष की ओर से खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत में एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका.

► मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं से की बातचीत

► 82 शिक्षकों को राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क नई दिल्ली, 5 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर शुक्रवार को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले 82 शिक्षक व शिक्षाविदों से मुलाकात कर उन्हें भविष्य की चिंताओं से अवगत कराया.



इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि उनको जिम्मेदारी केवल

शुद्धिकरण विवाद में उत्तराखंड

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर केस

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क बेंगलुरु, 5 सितंबर. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े शुद्धिकरण अनुष्ठान के मामले में कर्नाटक पुलिस ने उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की है.

अब मामले को आगे की जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस को भेजने की तैयारी की जा रही है.



यह कार्रवाई आदिवासी कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष टी.आर. रामप्पा की शिकायत के आधार पर की गई. शिकायत बेंगलुरु के विधान सभा थाने में दर्ज कराई गई थी.

छात्रों पर लाठीचार्ज, फायरिंग गलत

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क नई दिल्ली, 05 सितंबर. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल प्रयोग को गंभीर और परेशान करने वाला बताया है.

उन्होंने कहा कि पुलिस से जिस निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, वह कई मौकों पर दिखाई नहीं देती. लोकतंत्र में पुलिस राज्य



जस्टिस भुइयां ने कहा कि पुलिस बिना अत्यधिक बल प्रयोग किए और मानवाधिकारों का उल्लंघन किए बिना भी प्रभावी ढंग से कानून लागू कर सकती है. उन्होंने कहा कि सड़क पर सीटी और लाठी लिए पुलिसकर्मी राज्य की शक्ति और अधिकार का सबसे प्रत्यक्ष चेहरा होता है. जब किसी नागरिक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह पुलिस से मदद की उम्मीद करता है.

की शक्ति का प्रतीक होने के साथ-साथ आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था भी है, इसलिए उसका भरोसेमंद और निष्पक्ष रहना बेहद जरूरी है. न्यायमूर्ति भुइयां पूर्व सुरक्षा सचिव यशोवर्धन आजाद की किताब 'पुलिसिंग द रिपब्लिक' के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

► एक नजर में ◀

5 कैदियों ने वार्डन पर किया जानलेवा हमला

बेंगलुरु. शहर की परपन्ना अग्रहारा केंद्रीय जेल में पांच विचाराधीन कैदियों ने 32 वर्षीय जेल वार्डन मंजूनाथ इवेली पर कथित तौर पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि कैदियों ने वार्डन का गला घोटने की भी कोशिश की. घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

बोलीविया के सैन्य अड्डे में धमाके से 10 की मौत

ला पाज. दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के पश्चिमी शहर वियाचा में शुक्रवार को एक सैन्य अड्डे पर विस्फोट में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 58 लोग घायल बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या 10 से 15 के बीच हो सकती है.

खड़ी लॉरी से टकराई कार, 8 लोगों की मौत

त्रिशूर. केरल के त्रिशूर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना कैपामंगलम इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पनाम्बिकुन्नू सेक्टर के पास हुई, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी माल ढोने वाली लॉरी के पिछले हिस्से से जा टकराई.

जनपद सीईओ शोभित त्रिपाठी अरेस्ट

अशोभित कारनामा : विवाह सहायता योजना में 30 .18 करोड़ का फर्जीवाड़ा

नवभारत न्यूज़ भोपाल, 5 सितंबर. सिरोंज जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 9 सितंबर तक ईडीको सौंप दिया. मामला विवाह सहायता योजना में फर्जीवाड़े और



सरकारी राशि के दुरुपयोग से जुड़ा है. ईडी की जांच के अनुसार, योजना के तहत पात्र बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए दिए जाते थे. त्रिपाठी ने इस योजना में करीब 30.18 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है.

लॉकडाउन में बांटी राशि

ईडी की जांच में कुछ ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ दिए जाने की बात सामने आई है, जो इसके लिए पात्र नहीं थे. जांच एजेंसी के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में भी कई मामलों में विवाह सहायता राशि वितरित की गई, जबकि उस अवधि में सार्वजनिक विवाह समारोहों पर प्रतिबंध लागू था.

लश्कर कमांडर यासिर ढेर

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क श्रीनगर, 5 सितम्बर. जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के ऊपरी इलाकों में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराया.

यूसुमगं इलाके में आतंकी और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चली. पाकिस्तानी कमांडर की पहचान यासिर के रूप में हुई है. सुरक्षाबलों को इलाके में आतंकीयों की मौजूदगी का इनपुट मिला था. इसके बाद, उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया. कुछ देर बाद ही मुठभेड़ शुरू हो गई और यासिर मारा गया.



यह एनकाउंटर स्पेशल फोर्स और 53वें राष्ट्रीय राइफल के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत हुआ. यासिर लश्कर-ए-तैयबा के सूलेमान मूसा ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन सालभर पहले अलग हो गया था. उसके बाद से ही वह अलग रहकर ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था. सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से आतंकी पर नजर रख रही थीं.

अब 27 नवंबर को बाल विवाह उन्मूलन दिवस

नई दिल्ली, 05 सितंबर. बाल विवाह के खिलाफ भारत की मुहिम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है. संयुक्त राष्ट्र ने 27 नवंबर को 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया है. यह फैसला बाल विवाह रोकने के लिए भारत में चल रहे अभियान और नागरिक संगठनों की कोशिशों को वैश्विक समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है. 4 सितंबर को सिएरा लियोन ने इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में पेश किया. संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की सरकारों से 2030 तक बाल विवाह खत्म करने की अपील की.

घोषणा

ट्रंप प्रशासन के नए नियम से विदेशी छात्रों की बढ़ी परेशानी

विदेशी कर्मचारियों के बच्चों को नागरिकता नहीं

वॉशिंगटन, 05 सितंबर (एजेंसी). अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता को लेकर ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने ऐसा नियम जारी किया है, जिसके तहत अमेरिका में तैनात कुछ विदेशी सरकारी कर्मचारियों और राजनयिकों के बच्चों को जन्म से अमेरिकी नागरिकता के दायरे से बाहर रखा जाता था. यह नियम निजी कॉन्ट्रैक्टरों पर लागू नहीं होगा. नियम का मतलब यह नहीं है कि



दूतावासों में तैनात उच्च पदस्थ राजनयिक अधिकारियों के बच्चों को जन्म से अमेरिकी नागरिकता के दायरे से बाहर रखा जाता था. यह नियम निजी कॉन्ट्रैक्टरों पर लागू नहीं होगा. नियम का मतलब यह नहीं है कि

प्रभावित बच्चों को अमेरिका से बाहर भेज दिया जाएगा या उन्हें कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा. पात्र बच्चों के लिए लीगल परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड का रास्ता उपलब्ध रहेगा. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को फ्राम के जरिए आवेदन करना होगा. आवेदन स्वीकृत होने पर बच्चे की स्थायी निवास की तारीख उसके जन्म की तारीख से मानी जा सकती है. प्रक्रिया में अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ सकती हैं. नया प्रावधान प्रोसेस्पटिव है.

अदालत ने फिलहाल लगा रखी है रोक

ट्रंप प्रशासन की इस नई नीति को तत्काल कानूनी चुनौती मिल गई है. मैरीलैंड की एक संघीय अदालत ने 2 सितंबर को अंतरिम रोक लगाई है. मामला अब अमेरिकी अदालतों में कानूनी लड़ाई का विषय बन गया है. ऐसे में नियम की अंतिम स्थिति अदालत के फैसलों और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी.

अपना

सीकेवाईसी नंबर

प्राप्त करें, यह आपका खाता खोलने और री-केवाईसी में सहायता करता है

यह कैसे काम करता है:

- बैंक शाहकों की केवाईसी संबंधी जानकारी प्राप्त करके उसे सेंदूल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड करते हैं
- शाहक को 14-अंकों का एक नंबर जारी किया जाता है
- अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा नया खाता खोलने और री-केवाईसी करने के लिए शाहक के मौजूदा केवाईसी संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु 14-अंकों के इस नंबर का उपयोग किया जा सकता है

अपना सीकेवाईसी नंबर प्राप्त करने के लिए:

अपने बैंक से संपर्क करें या 7799022129 पर मिसड कॉल दें या <https://ckycindia.in> पर जाएं



अधिक जानकारी के लिए,
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/CKYCR> पर जाएं

आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर:
99990 41935/99309 91935



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in